



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 23

3 आषाढ 1942 (श0)

पटना, बुधवार, —

24 जून 2020 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

5-5

6-8

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

19 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-03/2017-गृ०आ०-4256—श्री विनय तिवारी, भा०पु०से० (2015), नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना को स्वयं की शादी व वैवाहिक समारोह हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2020 से 23.07.2020 तक कुल 34 (चौतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री डी० अमरकेश, भा०पु०से० (2013), पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

18 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-09/2019-गृ०आ०-4173—श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, बाँका को विभागीय अधिसूचना संख्या-4788 दिनांक 18.06.2019 द्वारा दिनांक 10.06.2019 से 29.06.2019 तक कुल 20 (बीस) दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाश में से दिनांक 24.06.2019 से 29.06.2019 तक कुल 6 (छः) दिनों का बिना उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

9 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-17/2015-गृ०आ०-3861—श्रीमती हरप्रीत कौर, भा०पु०से० (2009), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-05, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-9324 दिनांक 08.11.2019 द्वारा दिनांक 13.11.2019 से 10.05.2020 तक कुल कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. श्रीमती हरप्रीत कौर, भा०पु०से० (2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली 1955 के नियम 18 (D), के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2020 से 06.11.2020 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

18 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-25/2015-गृ०आ०-4174—श्री रत्न संजय कटियार, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-1766 दिनांक 19.02.2020 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश में से बिना उपभोग किये गये अवकाश दिनांक 23.03.2020 से 13.04.2020 तक 22 (बाईस) दिनों एवं दिनांक 21/22.03.2020 को Suffix के रूप में स्वीकृत करते हुए कुल 24 (चौबीस) दिनों के उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

अधिसूचना

8 अप्रैल 2020

सं० कारा/स्था०(चि०)-01-32/2019-2495—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 448(2) दिनांक 02.04.2020 के द्वारा डॉ० परमेश्वर पाण्डेय को संविदा के आधार पर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियोजित करते हुए गृह विभाग (कारा) को सेवा उपलब्ध कराई गई है।

2. एतद् द्वारा डॉ० परमेश्वर पाण्डेय को दो वर्ष की अवधि या इस पद पर नियमित पदस्थापन होने तक (जो भी पहले हो) के लिए निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

23 जून 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (पू०) मधे०-04/2017-269520/ग्रा०वि०—श्री तेज प्रताप त्यागी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर, मधेपुरा सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, चक्की, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 260-2 दिनांक 28.03.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोप पर श्री त्यागी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मंतव्य की माँग की गयी।

श्री त्यागी के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र, उनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री त्यागी का स्पष्टीकरण स्वीकारणीय पाया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री तेज प्रताप त्यागी को स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

12 जून 2020

सं० IX-10-01/2019-1851—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-5(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी, मनीगाछी एवं तारडीह अंचल को जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा के क्षेत्राधिकार से हटाकर अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है।

2. उक्त क्षेत्राधिकार के परिवर्तन के फलस्वरूप जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा के क्षेत्राधिकार में दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हनुमाननगर, हायाघाट, केवटी एवं सिंघवाड़ा अंचल तथा अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में बहेड़ी, मनीगाछी, तारडीह, बेनीपुर, अलीनगर एवं घनश्यामपुर अंचल तक सीमित रहेगा।

3. यह दिनांक 01.08.2020 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

26 मई 2020

सं० 5/आ०2-1039/2020-767--श्री धीरज कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (मो०-1), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त नियमित पदस्थापन होने तक कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. तदनुसार श्री धीरज कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता अविलम्ब उक्त कार्यो का प्रभार स्वतः ग्रहण करना सुनिश्चित करें और अनुपालन से मुख्यालय को अगले 24 घण्टों में अवगत करायें ।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

11 जून 2020

सं० एल/एच०जी०-14-04/2020-3209/सी०-—श्री विमल कुमार शांडिल्य, सेवानिवृत्त वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, विशेषगण, बिहटा के दिनांक 29.02.2020 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि०(2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-173(23), दिनांक 22.02.2020 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 789—मैं ललिता पाठक पति स्व० बबन पाठक, ग्राम—खैराभूधर, पोस्ट—नटवार, जिला रोहतास की निवासी हूँ।
शपथपत्र—570/26.02.2020 के मुताबिक पैन कार्ड में मेरा गलत नाम ललिता देवी दर्ज है। सही नाम ललिता पाठक है।
ललिता पाठक।

सं० 793—मैं वन्दना चौधरी Bandana Chaudhary उम्र करीब 39 वर्ष पिता महेश्वर ठाकुर Maheshwar
Thakur माता ललिता देवी Lalita Devi पति किसलय कुमार चौधरी Kislay Kumar Chaudhary ग्राम गढ़िया पोस्ट
उदयपुर बिठुआर थाना पंडील जिला मधुबनी (बिहार) शपथ पत्र संख्या 1445 दिनांक 27.02.2020 के मुताबिक घोषणा करती
हूँ कि मेरा जन्म तिथि 06.01.1981 है। पूर्व में मैं वंदना कुमारी Bandana Kumari से जानी जाती थी। लेकिन अब मैं
अपने नाम के साथ पति का टाइटिल “चौधरी” रखना चाहती हूँ। मेरा नाम अब वन्दना चौधरी Bandana Chaudhary है।
अब मैं वन्दना चौधरी के नाम से ही जानी जाऊंगी। मैं अपने नाम के टाइटिल ‘कुमारी’ के बदले “चौधरी” संशोधन हेतु
शपथ-पत्र लिया हूँ।

वन्दना चौधरी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० वानिकी निगम-02/2014-1953/प.व.ज.प.,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विभाग

संकल्प

17 जून 2020

विषय:—संकल्प संख्या—वन निगम-03/09-332, दिनांक 28.01.2013 की कंडिका 18 को संशोधित करने के संबंध में।

विषयाधीन संकल्प द्वारा राज्य में लघु वनोंत्पादों के संग्रहण, वितरण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु बिहार वानिकी विकास निगम लि० की स्थापना के उपरान्त इसके कार्यों के संबंध में नीतिगत निर्णय प्रख्यापित किए गए हैं।

उक्त संकल्प की कंडिका-18 के द्वारा बिहार वानिकी विकास निगम लि० को केन्दूपत्ती के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन एवं विपणन के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का एक मात्र अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। निगम पंचायतों की ओर से केन्दूपत्ती का संग्रहण/विपणन का कार्य करता है तथा विपणन से प्राप्त होने वाली राशि में से इस कार्य पर होने वाले व्यय की राशि को रखकर शेष राशि पंचायतों को समानुपातिक रूप में, अर्थात् पंचायतों में संग्रहित केन्दूपत्ता के अनुपात में, स्थानान्तरित कर देता है। इस कार्य से निगम को कोई शुद्ध आय नहीं होता है। परन्तु विषयाधीन संकल्प दिनांक 28.01.2013 की कंडिका 18 में विपणन प्रक्रिया में लागत राशि के समायोजन के उपरान्त अवशेष राशि को “निगम द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभांश” के रूप में निरूपित किए जाने के फलस्वरूप निगम को इस पर कर देना पड़ता है जबकि उक्त अवशेष राशि वास्तव में पंचायतों की आय होती है जो आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के तहत कर मुक्त होती है।

इस संबंध में निगम द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (Chartered Accountant) मेसर्स पी० पुनित एण्ड कंपनी से मंतव्य प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत् है:—

Bihar Forestry Development Corporation Ltd. is only working as a sole selling agent for Collection, Storage and Marketing of Tendu (Kendu) leaf on behalf of Panchayat. The sale proceeds on the Kendu leaf and the purchase cost incurred by the company will be entirely on behalf of the Panchayat and the surplus generated will be of the related Panchayat. The Forestry Corporation will only get reimbursement on the expenditure born by the company as commission.

The income of Panchayat which comes under the Local Authority is also exempted. Hence all the sale proceeds and Expenditure made for the collection, storage and transportation will be treated as expenditure for the Panchayat.

All the sale proceed of the Tendu (Kendu) leaf and cost incurred on behalf of the Panchayat will be entirely of Panchayat and any surplus generated will be the tax free income of Panchayat. The corporation will only charge the Agency commission/service charge on the sale value.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-332 दिनांक 28.01.2013 की कंडिका-18 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:—

..... 18. पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या-वन निगम-03/09-332 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा बिहार वानिकी विकास निगम लि० को पूरे बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर त्रि-स्तरीय पंचायतों के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में केन्दूपत्ती सहित समस्त लघु वन उपजों के संग्रहण, प्रोसेसिंग, भंडारण एवं विपणन की व्यवस्था संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से करने हेतु नियुक्त किया गया है।

उक्त बिहार वानिकी विकास निगम लि० द्वारा केन्दू पत्ती सहित अन्य लघु वन उपजों के विपणन से प्राप्त राशि में से संग्रहण, प्रोसेसिंग, भण्डारण आदि संबंधित कार्यों पर निगम द्वारा किए गए कुल व्यय, जिसमें स्थापना व्यय भी सम्मिलित होगा, की राशि घटाकर शेष राशि संबंधित पंचायतों को समानुपातिक रूप से स्थानान्तरित की जायेगी। राशि स्थानान्तरण से पूर्व पंचायतों द्वारा निगम से पूर्व में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। पंचायतों द्वारा निगम से प्राप्त राशि का 90% भाग संयुक्त वन प्रबंधन के तहत पंचायत स्तर पर गठित विभिन्न समितियों को स्थानान्तरित किया जायेगा एवं शेष 10% राशि पंचायतें अपने स्तर से व्यय कर सकेंगी।

पूर्व निर्गत एतद् संबंधी संकल्प संख्या-3698, दिनांक 23.10.2003 एवं संकल्प संख्या-332 दिनांक 28.01.2013 में किये गये शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

सं० नि०को० पटना-03-04/2016-866 (15)/रा०
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

18 जून 2020

श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खुशरूपुर, पटना के विरुद्ध लगान रसीद काटने में टाल-मटोल करने एवं नजायज राशि की माँग करने तथा जमाबंदी फाड़ने जैसे आरोपों को समाहर्ता, पटना के पत्रांक-24 मु०/स्था०, दिनांक-09.07.2016 से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. समाहर्ता, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-861, दिनांक 11.08.2016 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण दिनांक 23.08.2016 विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपना बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि लगान रसीद काटने में टाल-मटोल करने एवं नजायज राशि की माँग करने तथा जमाबंदी फाड़ने संबंधि कृत्य मेरे द्वारा नहीं की गयी है, क्योंकि जमाबंदी का कस्टोडियन राजस्व कर्मचारी होता है तथा लगान रसीद भी वही निर्गत करता है तो मेरे द्वारा नजायज राशि माँगने का सवाल ही नहीं उठता है। अंचल कार्यालय, खुशरूपुर के विविध वाद सं०-07/09-10 के आदेश फलक पाँचवे पारा से स्वतः स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, खुशरूपुर के पत्रांक-44 दिनांक 22.02.20.09 द्वारा आरोपित कथन के संदर्भ में थाना प्रभारी, खुशरूपुर के पृच्छा के क्रम में एक प्रत्युत्तर भेजी गयी है, जिसमें श्री शर्मा द्वारा सरकारी भूमि अतिक्रमण कर पक्का चाहरदिवारी/घेराबंदी की गयी है, जिसे प्रभावित करने के उद्देश्य से हल्का राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक पर आरोप लगाया गया है।

3. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरान्त मामले की जाँच हेतु अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं०-1178, दिनांक 02.11.2016 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें समाहर्ता, पटना द्वारा समाहरणालय, पटना के आदेश ज्ञापांक-3177/स्था०, दिनांक 13.12.2016 से अंचल अधिकारी, खुशरूपुर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभाग को सूचित किया गया।

4. कालान्तर में अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-34 मु०/रा०, दिनांक 20.03.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें दाखिल तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन एवं परीक्षण के आधार पर स्पष्ट किया गया कि परिवादी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, परन्तु इससे आरोपी को निर्दोष नहीं माना जा सकता है। अंचल निरीक्षक के रूप में आरोपी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा जिला जन शिकायत कोषांग, पटना में उनके विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया गया तथा इसके आलोक में विविध वाद संख्या 7/09-10 प्रारंभ की गयी।

5. प्रमाणित आरोपों के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-407, दिनांक 18.05.2018 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक-583 दिनांक 06.07.2018, पत्रांक-681 दिनांक 13.08.2018, पत्रांक-106 दिनांक 05.02.2019 एवं पत्रांक-448 दिनांक 26.06.2019 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, रिविलगंज, सारण के पत्रांक-372 दिनांक 18.07.2019 से अपना द्वितीय कारण-पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया।

6. श्री सिन्हा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत द्वितीय कारण-पृच्छा के समीक्षोपरान्त पाया गया की आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी को विभागीय आदेश सं०-174 दिनांक 23.03.2018 द्वारा पाँच वर्षों के लिए कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत किया गया है। इनपर अंचल अधिकारी, पटना सदर में पदस्थापन के काल में भी कतिपय अनियमितता के आरोप में निलंबित रहे हैं एवं विभागीय कार्यवाही संचालित है। स्पष्ट रूप में ये आदतन नियमों का उल्लंघन कर कार्य करने वाले अधिकारी हैं।

7. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा को सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी का दण्ड विनिश्चित किया गया।

9. श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खुशरूपुर, पटना सम्प्रति अंचल अधिकारी, रिविलगंज, सारण के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड “सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी” संबंधी संलेख पर विभागीय पत्रांक-759 दिनांक 08.06.2020 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.06.2020 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-23 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

10. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 (x) के तहत श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खुशरूपुर, पटना को “सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी” का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>